संख्या-55/2020/376/71-3-2020-एन0एम0-04/2018

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 24 सितम्बर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, एटा के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, एटा के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 21684.83 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 21684.83 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 7914.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-39/2018/908/71-3-2018/ एन0एम0-04/2018, दिनॉक 14-11-2018	5000.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-82/2019/1275/71-3-2019/ एन0एम0-04/2018, दिनॉक 14-11-2019	1414.00 (केन्द्रांश)
3	संख्या-12/2020/65/71-3-2020/ एन0एम0-04/2018, दिनॉक 17-02-2020	1500.00 (राज्यांश)
	योग	**7914.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज एटा के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 21684.83 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष **रू0 20.00 करोड़ (रू0 बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि राज्यांश के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं केा दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।

4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-39/2018/908/71-3-2018-एन0एम0-04/2018, दिनांक 14-11-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-मेडिकल कालेज, एटा (के060/रा040-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-890/दस-2020, दिनॉक 22 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-55/2020/376 (1)/71-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, एटा।
6. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, एटा।
8. प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
9. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
10. नियोजन-अनुभाग-4
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in